दिनांक- 28.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 451/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 28.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

महोबा पुलिस

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने ली मंगलवार परेड की सलामी, ड्रिल निरीक्षण और अभिलेखों की गहन समीक्षा के जरिए कार्यप्रणाली को और मजबूत बनाने के निर्देश

- आज दिनांक 28.07.2026 को पुलिस लाइन महोबा में आयोजित मंगलवार परेड के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह द्वारा परेड की सलामी ग्रहण की गई। इस अवसर पर पुलिस बल की टोलीवार ड्रिल कराई गई, जिसमें जवानों के अनुशासन, तालमेल एवं शारीरिक दक्षता का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिला।
- ड्रिल के उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा टोलीवार निरीक्षण करते हुए वर्दी, उपकरणों एवं समग्र प्रस्तुति का बारीकी से अवलोकन किया गया। इस दौरान संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए उच्च मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया गया।
- इसके पश्चात पुलिस लाइन की विभिन्न शाखाओं का व्यापक निरीक्षण किया गया। विशेष रूप से परिवहन शाखा का गहन निरीक्षण करते हुए वहां उपलब्ध अभिलेखों की गुणवत्ता, रख-रखाव एवं अद्यतन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई तथा कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने हेतु निर्देश दिए गए।
- निरीक्षण क्रम में रजिस्टर पेशी का भी परीक्षण किया गया। पेशी रजिस्टर का अवलोकन कर अभिलेखों की सटीकता, गुणवत्ता एवं समयबद्ध अद्यतन की जांच की गई। संबंधित कर्मियों को अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण एवं नियमित अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
- अपर पुलिस अधीक्षक महोबा ने इस अवसर पर समस्त पुलिस बल को अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट कार्यसंस्कृति बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि प्रभावी पुलिसिंग के लिए निरंतर निरीक्षण एवं सुधार आवश्यक है।

दिनांक- 28.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 453/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़-थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कुलपहाड़ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक श्री अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित पुलिस टीम, जिसमें उ0नि0 योगेश रावत, रि0म0का0 अंशिका मिश्रा एवं हो0गा0 पीसी कमलेश कुमार शामिल थे, द्वारा माननीय न्यायालय से निर्गत वारंट के अनुपालन में अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र सिद्धगोपाल विश्वकर्मा, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को संबंधित मु0सं0 25/2021, अ0सं0 324/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त-

सुरेन्द्र पुत्र सिद्धगोपाल विश्वकर्मा, उम्र लगभग 37 वर्ष
निवासी ग्राम मौहारी थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

संबंधित वाद का विवरण-

- मु0सं0 25/2021
- अ0सं0 324/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 योगेश रावत
2.रि0म0का0 अंशिका मिश्रा
3.हो0गा0 पीसी कमलेश कुमार

दिनांक- 28.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 454/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर-थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष खन्ना श्री धर्मेन्द्र सिंह की देखरेख में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना खन्ना पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.07.2026 को उपनिरीक्षक श्री श्यामजी यादव मय हमराह रि0का0 सुमित सिंह द्वारा वारंटी अभियुक्त रामभरोसी पुत्र स्व0 स्वामीदीन, उम्र लगभग 70 वर्ष, निवासी ग्राम बरभौली थाना खन्ना जनपद महोबा को माननीय न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/मजिस्ट्रेट महोबा द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंट संबंधित वाद सम्मन ट्रायल संख्या 288/2019, मु0अ0सं0 18/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अनुपालन में ग्राम बरभौली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत नियमानुसार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामभरोसी पुत्र स्व0 स्वामीदीन, उम्र लगभग 70 वर्ष
निवासी ग्राम बरभौली थाना खन्ना जनपद महोबा

संबंधित वाद का विवरण-

- सम्मन ट्रायल संख्या 288/2019
- मु0अ0सं0 18/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उपनिरीक्षक श्यामजी यादव, थाना खन्ना महोबा
2.रि0का0 सुमित सिंह, थाना खन्ना जनपद महोबा

दिनांक- 28.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 455/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़-थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री विनोद कुमार की देखरेख में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.07.2026 को थाना महोबकंठ पुलिस को सफलता प्राप्त हुई।

उक्त अभियान के क्रम में उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह रि0कां0 मनीष कुमार द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त कल्लू उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र तुलाराम, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़, महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट मु0 संख्या 767/2018, अ0सं0 304/2015 धारा 323/504/506 भादवि के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम पचारा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 ऋषी शुक्ला द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त देव सिंह पुत्र धर्मजीत यादव उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम गाडौ थाना महोबकंठ जनपद महोबा को मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड़ महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारटं मु0सं0 856/2018 अ0सं0- 449/2013 धारा 25 आर्म्स एक्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम गाडौ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्त को आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1.कल्लू उर्फ पुष्पेन्द्र पुत्र तुलाराम उम्र लगभग 40 वर्ष नि0 ग्राम पचारा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

2.देव सिंह पुत्र धर्मजीत यादव उम्र 64 वर्ष निवासी ग्राम गाडौ थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम–

प्रथम पुलिस टीम-

1.उ0नि0 रोहित कुमार

2.रि0कां0 मनीष कुमार

द्वितीय पुलिस टीम-

1.उ0नि0 ऋषी शुक्ला

2.हे0कां0 जंगबहादुर